vu|l|ph &1

d"kd fgr leg@efgyk fgr leg

गाँव स्तर पर किसान समूहों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा गाँव स्तर के समूह जिला एवं प्रखंड स्तर के समुदाय, संघों, विपणन सहकारी समितियों तथा दूसरे प्रकार के किसान संघों मे शामिल होंगें गाँव स्तर पर किसान हित समूह तथा किसान संघ प्रखंड कार्य योजना तैयार करने में प्रभावशाली रूप से शामिल होंगें ये संगठन प्रदर्शन क्षेत्र, आन फार्म एवं अनुकूल प्रत्यक्षणों में आयोजनों को समन्वय तथा प्रसार एवं अनुसंधान की फीडबैक करेंगें इनके प्रतिनिधि सीधे रूप में प्रखंड स्तर की किसान सूचना एवं सलाहकार समिति से जुड़े रहेंगें

d"kd leg|k dk xBu

- चूँकि कृषकों के समूह पर ही योजना अंतर्गत सभी गतिविधियाँ क्रियान्वित होना हैं अतः सर्वप्रथम कृषक समूह के विषय में रणनीति तैयार करना होगां यह रणनीति दो तरह के हो सकते हैं –

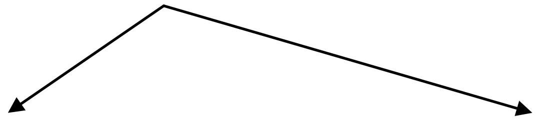

पहले से तैयार कृषक समूह की सहायता से

नये कृषक समूह तैयार करना

io| l| xfBr leg

- BTT सदस्यों को उस प्रखंड में पूर्व से गठित समूहों की सूची तैयार करने एवं उनमें से सक्रिय समूहों को चिन्हांकित करने की जिम्मेदारी की जानी चाहिएं प्रत्येक विषय वस्तु विशेषज्ञ को निश्चित ग्रामों के समूह में यह कार्य विभातिज किया जा सकता हैं
- आत्मा प्रबंधन समिति (AMC) के सदस्यों को इन पूर्व से गठित समूहों को आत्मा के अंतर्गत लाने हेतु प्रशिक्षण संबंधित क्या आवश्यकता है? यदि है तो किस तरह का प्रशिक्षण एवं प्रत्यक्षण दिया जा सकता है? इस Exercise (Training Need Analysis) की जिम्मेदारी उनके संबंधित विभागों के सदस्यों को जैसे – कृषि संबंधित समूहों विश्लेषण का कार्य कृषि विभाग को दी जा सकती हैं
- यह कार्य विषय वस्तु विशेषज्ञों/NGO के माध्यम से भी दक्षतापूर्वक लिया जा सकता हैं

u; legk dk fuek.k

- यदि पूर्व से गठित कृषक समूह उपलब्ध नहीं है या ऐसे ग्रुप केवल कागजों पर हैं तो ऐसी स्थिति में नये कृषक समूह निर्माण अपरिहार्य हो जाते हैं
- किसी फसल/ कमोडिटी पर आधारित नये कृषक समूह को गठन हेतु विषय वस्तु विशेषज्ञ/NGO की मदद ली जा सकती हैं
- नये कृषक समूह तैयार करना सरल कार्य नहीं हैं अतः इस हेतु पदाधिकारियों/विषय वस्तु विशेषज्ञों को कृषक समूह निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए (यदि आवश्यक हो तो) ऐसे प्रशिक्षण का मुख्य विषय यह होना चाहिए कि समूह में खेती करने के क्या–क्या लाभ होते हैं बामेती द्वारा समूह निर्माण से संबंधित पुस्तिका पूर्व में ही उपलब्ध जा चुकी हैं
- कृषकों के समुह में कृषि या कृषि संबंधी कार्य करने के क्या–क्या लाभ हो सकते ळें इसकी एक सूची तैयार की जानी चाहिएं
- प्रत्येक विषय वस्तु विशेषज्ञों को किसान सलाहकार की मदद से कम से कम 02 कृषक समूह तैयार करने की जिम्मेदारी जा सकती हैं
- ऐसे नये कृषक समूह तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है –

I. एक कृषक समूह में 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं

II. ये सदस्य एक या आस पास के दो –तीन गाँवों के हो सकते हैं

III. समुह के सदस्यों में कम से कम एक समान रूचि (Common Interest) होनी चाहिए (जैसे फसल/कमोडिटी, मार्केटिंग आदि)

IV. समूहों का आत्मा में पंजीयन होना चाहिए तथा प्रत्येक सदस्य से एक निर्धारित सदस्यता शुल्क लिया जाना चाहिएं यह शुल्क समूह के नाम से आत्मा के खाते में जमा की जाना चाहिएं

V. प्रत्येक समूह आत्मा में पंजीयन हेतु आवेदन आत्मा को प्रस्तुत करेगां जिसमें समूह के सदस्यों के नाम, पते एवं हस्ताक्षर, अध्यक्ष (यदि कोई हो तो) का नाम पता एवं हस्ताक्षर, तथा समूह का नाम आदि शामिल होगां

VI. समूहों की माह में कम से कम एक बैठक आयोजित होनी चाहिए जिसमें विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार अवश्य उपस्थित हों

VII. प्रत्येक समूह को संबंधित उद्यम (Enterprise) से संबंधित अधिकारी का सहयोग प्राप्त होना चाहिएं

VIII. इन समूहों को योजनान्तर्गत गतिविधियों (जैसे प्रशिक्षण, परिदर्शन, प्रत्यक्षण, रिवॉल्विंग फंड) का लाभ दिया जाना चाहिएं यदि संभव हो तो समूह के Success Stories तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसकी मदद से अन्य समूह तैयार किये जा सकें

IX. मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिएं

X. एक समूह में एक ही तरह के सदस्य शामिल किया जाना चाहिए अर्थात समूह Homogenous होना चाहिए (जैसे छोटे कृषकों के साथ बड़े कृषकों को शामिल न करें)

XI. समूह की प्रत्येक मासिक बैठक में अगले बैठक की तारीख एवं उस तारीख को किस विषय पर चर्चा होगी अथवा तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होगी, निर्धारित कर लेनी चाहिएं

B.5. fdlku fgr leg] efgyk legk] fdlkuk lxBuk ,o fdlku lgdkjh lfefr;k d lkFk fofHkUu fdlku leg dk ekcykbt'ku

B.5. ¼d½ {kerk fuekZ.k] n{krk fodkl ,o lg;kx lok

1. कृषक हित समूह का गठन किया जायें जिनका मुख्य आधार कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधि हों प्रत्येक समूह में लगभग 10 से 20 व्यक्ति हों
2. क्षमता निर्माण हेतु प्रति समूह 5,000/– (रू. पाँच हजार) रूपये प्रति वर्ष व्यय का प्रावधान हैं
3. विषय वस्तु क्षमता विकास हेतु चयनित गतिविधि का चयन कर इस हेतु संस्थागत प्रशिक्षण आयोजित करायी जायेगीं

B.5. ¼[k½ lhM euh@ fjokfYoax QaM

1. प्रत्येक समूह के लिए रू. 10,000/– (रू. दस हजार) सीड मनी/ रिवाल्विंग फंड के रूप में देने का प्रावधान है परन्तु यह राशि समूह के आत्म निर्भर हो जाने पर वापस ले ली जायेगीं
2. समूह को राशि देने के पूर्व नोटरी पब्लिक के माध्यम से शपथ पत्र ले लिया जाय कि दी गई राशि आत्मा द्वारा उचित समय पर वापस की जायेगी एवं समूह राशि को वापस कर देगां
3. सीड मनी/ रिवाल्विंग फंड उन्हीं समूहों को दिया जाय जिनको पूर्व में कोई ऐसी राशि या सहायता नहीं मिली हों इस आशय का भी शपथ ले लिया जायं
4. सीड मनी/रिवाल्विंग फंड उन्हीं समूहों को दिया जाय जिनके सदस्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो एवं राशि देने से समूह को लाभ हों

B.6. ikfjrksf"kd ,o iqjLdkj

1. विभिन्न उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे अच्छे संगठित समूहं
2. आत्मा के पंजीकृत समूहों में उद्यम आधारित समूहों के आधार पर हर समूह को रू. 20,000/– (रू. बीस हजार) का पुरस्कार का प्रावधान हैं
3. सबसे अच्छे समूह का चयन किया जायं चयन में पारदर्शिता का ध्यान रखा जायं
4. जिले में 5 सर्वश्रेष्ठ संगठित समूहों को पारितोषिक देने का प्रावधान हैं